जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 163 दि.

आदेश

विषय – ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : (1) जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे.1889 दि.06.10.09 (Comml.JDP/511).

(2) अध्यक्ष डिस्कॉम/पत्रा( )/टीए/प्रे. 118 जयपुर दिनांक 26/2/14.

(3) जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/पीपीएम/पत्रा0/प्रे0 258 दिनांक 06/11/2015.

प्रदेश में विद्युतीकृत गांवो व आबादी क्षेत्र एवं गैर आबादी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत् घरेलु कनेक्शन जारी करने हेतु उपरोक्त संदर्भित आदेशों द्वारा पूर्व में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेशों को अधिक्रमित (Supersession) करते हुये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

1. विद्युतीकृत गांव व ढाणी जहाँ ट्रांसफार्मर स्थापित है एवं घरेलु कनेक्शन जारी किये गये है, उन ट्रांसफार्मर के समीप गैर आबादी क्षेत्र में भी सर्विस लाइन द्वारा (अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक) कनेक्शन जारी किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुये आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है।

2. स्ववित्त व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत गैर आबादी क्षेत्र (चारागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पूर्व में स्थापित है एवं उन ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित एल.टी. तंत्र के समीप घरेलु कनेक्शन की मांग को देखते हुये कनेक्शन जारी करने हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि सर्विस लाइन द्वारा (अधिकतम 100 मीटर विस्तार तक) कनेक्शन जारी किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु ट्रांसफार्मर की तकनीकी साध्यता को देखते हुये आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है।

सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अथवा ट्रांसफार्मर के तकनीकी रूप से असाध्य होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर सर्विस लाइन की निर्धारित सीमा तक घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निम्न मापदण्ड का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे.1889 दि. 06.10.09 (Comml.JDP/511).के संदर्भ में विभिन्न क्षमता के सिंगल फेस ट्रांसफार्मरों पर सामान्यतः अधिकतम कनेक्शनों की निर्धारित संख्या निम्नानुसार संशोधित की जाती है :

ट्रांसफार्मर की क्षमता	अधिकतम कनेक्शनों की संख्या
25 KVA	25 Nos
16 KVA	16 Nos
10 KVA	10 Nos
5 KVA	5 Nos

सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की क्षमता का निर्धारण मांग के अनुरूप उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जावें।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे की सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक भार के कनेक्शन जारी नही किये जावें एवं नानत्व गुणांक (Diversity Factor) एक से अधिक नही होगा अर्थात् 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर पर अधिकतम 5 कि.वा भार के कनेक्शन ही स्वीकृत किये जायेंगे। स्थापित विद्युत तंत्र से सर्विस लाइन द्वारा कनेक्शन जारी किये जाने हेतु स्थापित ट्रांसफार्मर में क्षमता ना होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जावेगी। नये कनेक्शन जारी करने हेतु एल.टी./एच.टी. तंत्र का विस्तार नही किया जायेगा।

अतिरिक्त नये घरेलु कनेक्शन देने के लिए किये जाने वाले कार्य/स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की स्वीकृति के लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता अधिकृत होगें एवं भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने में होने वाली अनावश्यक देरी/ट्रांसफार्मर जलने के लिए भी जिम्मेदार होगें।

आज्ञा से

03/12/17

(एम.आर मीणा)
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,..............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

03/2/17

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर